529

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (एस.एस.) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः मु.अ.(एस.एस.)/पीए/ 8 – 946

दिनांकः 24/2/2014

अतिरिक्त मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
सम्भाग– ....समस्त।

विषयः– मुख्य अभियंता कार्यालय में स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाने वाली निविदाओ के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः यह पाया गया है कि आप द्वारा मुख्य अभियंता स्तर से स्वीकृत होने वाली निविदाओ को अनावश्यक एवं अत्यधिक देरी एवं समुचित जॉच किये बिना व अधूरे अभिलेखो के साथ प्रेषित किया जाता है। जिसके कारण तकनीकी शाखा एवं लेखाशाखा में परीक्षण करने पर काफी आक्षेप पाये जाते है। अनावश्यक एवं अत्यधिक देरी को उच्च अधिकारियो द्वारा काफी गम्भीरता से लिया गया है एवं दो–तीन मामलो में तो दोषी अधिकारियो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सी सी ए के नियम–17 अन्तर्गत आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिये जा चुके है। साधारणतया आप द्वारा भिजवाये जा रहे निविदा प्रकरणो में मुख्य रूप से निम्न कमियाँ पाई जा रही है।

1. राजस्थान ट्रान्सपेरेन्सी पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्ट 2012 (नियम 2013) की पालना सुनिश्चित नही की जाती है।
2. निर्धारित प्रारूप में चैक लिस्ट संलग्न नही की जाती है तथा जो चैक लिस्ट संलग्न की जाती है, उसमें भी अधिकतर कॉलम खाली छोड़ दिये जाते है। (निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न)
3. चैक लिस्ट में लेखा अधिकारी द्वारा टिप्पणी नहीं की जाती है।
4. समाचार पत्रो की कटिंग संलग्न नहीं की जाती है।
5. डी आई पी आर की कॉपी नहीं लगाई जाती है।
6. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं की जाती है।
7. जी–शिडयूल सही होने का तकनीकी सहायक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है।
8. दर विश्लेषण सही होने का प्रमाण पत्र अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नहीं दिया जाता है। जबकि इस बाबत् एक परिपत्र कमांक प.14(15)सानि/2013 दिनांक 11 मार्च 2013 द्वारा जारी किया हुआ है। (प्रति संलग्न)
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा दर उचित होने एवं टेन्डर को स्वीकृत करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा नहीं की जाती है।
10. गत छः माह में समान प्रकृति के कार्यो की स्वीकृत दर में बी.एस.आर वर्ष का उल्लेख नहीं किया जाता है।
11. गत छः माह की प्राप्त दरो से अधिक दर आने पर उसकी अभिशंषा की जाती है तो उसके स्पष्ट कारणो का उल्लेख नहीं किया जाता है।

530

12. यदि जी–शिडयूल पुरानी बी.एस.आर. पर आधारित हो तो वर्तमान बी.एस.आर पर तुलना नहीं की जाती है।
13. निविदा को निर्धारित समय सीमा में स्वीकृत करने के लिये मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी परिपत्र संख्या. आर–7/2012–13 दिनांक 30.11.12 (प्रति संलग्न) की पालना नहीं की जाती है।
14. विभागीय रेट एनालिसिस के सम्बन्ध मे प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., द्वारा जारी यू ओ नोट कमांक पी एस/प्रमुख शासन सचिव/सा.नि.वि. /2012/215 जयपुर दिनांक 12.07.12 (प्रति संलग्न) की पालना सुनिश्चित नहीं की जाती है।

उपरोक्त उल्लेखित कमियों के कारण आक्षेपों की पूर्ति कराने में अनावश्यक समय की बरबादी होने के कारण निर्धारित समय सीमा में निविदा स्वीकृत करना सम्भव नही हो पाता है। अतः भविष्य मे उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर समस्त आवश्यक अभिलेखो सहित एवं समय पर निविदा को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके खिलाफ सी सी ए नियमो के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एम.एल.मीणा) 21/2/14
मुख्य अभियन्ता (एस.एस.)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता पथ/पीएमजीएसवाई/एन.एच./पी एण्ड एम सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत..... (समस्त) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड ..... (समस्त) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(एम.एल.मीणा) 21/2/14
मुख्य अभियन्ता (एस.एस.)